



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 12.04.2025

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 1 नफर नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2025 धारा 87/137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में वंछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 10.04.2025 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2025 धारा 87/137(2)/61(2) बीएनएस बनाम 02 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस का लोप तथा धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त विशाल कुमार गौतम पुत्र सन्तोष कुमार निवासी ग्राम रायपुर मौजा अटियारायपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष को आज दिनांक 12.04.2025 को समय 12.20 बजे अंगदपुर तिराहा थाना क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. विशाल कुमार गौतम पुत्र सन्तोष कुमार निवासी ग्राम रायपुर मौजा अटियारायपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0131/2025 धारा 87/137(2)/64(1) बी.एन.एस. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा चौकी प्रभारी कर्हिंजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2. का0 318 अंकित कुमार थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
3. का0 271 विनोद कुमार थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
4. का0 83 प्रदीप थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।